ज्ञान- विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

23 OCT 2020

अ.शा.मि.सं. 1-15/2009 (एआरसी) पार्ट-III

16 अक्टूबर, 2020

प्रिय महोदया/ महोदय,

सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय का अनुपालन करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने **"उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009"** को अधिसूचित किया। विनियम यूजीसी की वेबसाइट अर्थात www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

एक बार पुनः आपके संज्ञान में लाया जाता है कि रैगिंग एक दण्यनीय अपराध है और यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने संबंधी विनियम बनाए हैं ताकि रैगिंग को निषेध किया जा सके, रोका जा सके और समाप्त किया जा सके। ये विनियम अनिवार्य हैं और सभी संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रक्रिया की निगरानी सहित इसको पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और इन विनियमों के किसी भी तरह से उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है या इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है या रैगिंग की घटनाओं के अपराधियों को उपयुक्त रूप से दंडित करने में विफल रहता है, तो यूजीसी द्वारा इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि विभिन्न माध्यमों, रैगिंग-रोधी समिति एवं रैगिंग-रोधी दस्ते के गठन, रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, रैगिंग-रोधी कार्यशालाएँ और सेमिनार का आयोजन, नोडल अधिकारियों के पूर्ण विवरण सहित सभी वेबसाइटों को अद्यतन करना, खतरे की घंटियाँ आदि के माध्यम से पर्याप्त प्रचार द्वारा रैगिंग-रोधी तंत्र को आगे बढ़ाएं। छात्रों के साथ पारस्परिक बातचीत और परामर्श किया जाए, मुसीबत पैदा करने वालों की पहचान की जाए और संस्थानों के प्रोस्पेक्टस और सूचना पुस्तिकाओं/विवरणिकाओं में रैगिंग-रोधी चेतावनी का उल्लेख किया जाए। हॉस्टलों, छात्रों के आवास, कैंटीनों, विश्राम सह मनोरंजक कक्ष, शौचालयों, बस-अड्डों का औचक निरीक्षण किया जाए तथा प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, हॉस्टल, सामान्य सुविधाओं आदि जैसे सभी प्रमुख स्थानों पर रैगिंग-रोधी पोस्टर प्रदर्शित किए जाएं। ये पोस्टर यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। पोस्टरों का आकार 8x6 फीट होना चाहिए। रैगिंग को रोकने/शमन करने तथा अनुचित व्यवहार/घटना की पूर्व-सूचना देने वाले किसी अन्य उपाय को प्रारम्भ किया जाए।

रैगिंग से जुड़ी घटनाओं के कारण परेशानी में पड़े छात्र राष्ट्रीय रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं अथवा रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं। रैगिंग के संबंध में कोई भी अन्य जानकारी कृपया यूजीसी की वेबसाइट अर्थात www.ugc.ac.in और www.antiragging.in से प्राप्त करें और यूजीसी की निगरानी एजेंसी अर्थात अमन सत्य काचरू ट्रस्ट को मोबाइल नंबर 09871170303, 09818400116 पर संपर्क करें (केवल आपातकाल के मामले में)।

रजनीश

रैगिंग-रोधी मीडिया अभियान के साथ-साथ यूजीसी ने रैगिंग-रोधी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित इकाइयाँ विकसित की हैं जो यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

क. यूजीसी ने माता-पिता, पीड़ित और दोषियों के दृष्टिकोण से अलग-अलग 05 टीवी क्लिप तैयार की हैं, जो प्रत्येक 30 सेकंड की है।

ख. यूजीसी ने 04 प्रकार के पोस्टर तैयार किए हैं और इन पोस्टरों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए विश्वविद्यालयों/नियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/ एनआईटी/अन्य शैक्षणिक संस्थानों को वितरित किया गया है।

ग. यूजीसी ने रैगिंग के खतरे के विषय पर लगातार 02 रैगिंग-रोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है ताकि छात्रों/शिक्षकों/ आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाई जा सके।

यूजीसी विनियमों के दूसरे संशोधन के अनुपालन में, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता-पिता के लिए www.antiragging.in और www.amanmovement.org पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक ऑनलाइन वचनबंध (Undertaking) जमा करना अनिवार्य बनाएं।

सादर,

भवदीय,

रजनीश

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

संलग्नः यथोपरि

प्रतिलिपिः

1. सभी नियामक निकाय
2. यूजीसी के क्षेत्रीय अधिकारी

रजनीश

(रजनीश जैन)